रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1335] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 11, 2017/वैशख 21, 1939
No. 1335] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 11, 2017/VAISAKHA 21, 1939

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2017

का.आ. 1512(अ).—आधार का पहचान दस्तावेज के रूप में प्रयोग सेवाओं अथवा सहायकियों अथवा प्रसुविधाओं को परिदान करने में सरकारी वितरण प्रक्रिया को सरल बनाता है, पारदर्शिता तथा दक्षता लाता है, तथा फायदाग्राहियों को उनके हकों को सुविधाजनक एवं परेशानी रहित ढंग से परिदान करता है एवं आधार किसी की पहचान को प्रमाणित करने के लिए बहुत से दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और यह कि, भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विभाग निर्दिष्ट किया गया है), भारत सरकार का वित्त मंत्रालय अटल पेंशन योजना (एपीवाई) (इसके पश्चात् उक्त योजना निर्दिष्ट किया गया है) का संचालन 16 अक्टूबर, 2015 की राजपत्र अधिसूचना के अंतर्गत की गई अधिसूचना तथा 19 जनवरी, 2016 और 22 मार्च, 2016 की अधिसूचनाओं के द्वारा अपने अभिदाताओं (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राहियों निर्दिष्ट किया गया है) के लिए किए गए संशोधन के अनुसार कर रहा है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) (जिसे इसमें इसके पश्चात् विनियामक निर्दिष्ट किया गया है) इस योजना के अंतर्गत फायदाग्राहियों की पहचान के लिए प्रक्रिया को विनियमित तथा अभिकथित करता है। स्कीम का कार्यान्वयन विनियामक के कार्यालय तथा बैंकों एवं डाकघरों (जिसे इसमें इसके पश्चात् मध्यवर्ती निर्दिष्ट किया गया है) की शाखाओं के जरिए किया जाता है।

और यह कि केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी देती है तथा पात्र फायदाग्राहियों के लिए अपना सह-अंशदान (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभ निर्दिष्ट किया गया है) करती है, जिस पर होने वाले व्यय का वहन भारत की संचित निधि से किया जाता है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय तथा अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम निर्दिष्ट किया गया है), की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्—

1. (1) व्यक्ति, जो योजना के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के पात्र हों, उनसे, आधार रखने अथवा आधार प्रमाणीकरण के प्रक्रियाधीन होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(2) व्यक्ति, जो योजना के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक हो और जिसके पास आधार संख्या न हो अथवा वे आधार के लिए अभी तक नामांकित न हों, उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार 15 जून, 2017 तक आधार में नामांकन के लिए आवेदन करना होगा तथा ऐसे व्यक्तियों को आधार के लिए नामांकन हेतु किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईएडीआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) से संपर्क करना होगा।

(3) आधार (नामांकन तथा अद्यतनीकरण) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विनियामक अपने कार्यालयों अथवा मध्यवर्तियों, जिन्हें व्यक्ति द्वारा आधार प्रस्तुत करना अपेक्षित है, को ऐसे फायदाग्राहियों, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हुए हैं, को आधार नामांकन की सुविधा का प्रस्ताव करना अपेक्षित है और यदि संबंधित ब्लॉक अथवा तालुक या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित न हो तो विनियामक को अपने कार्यालय अथवा मध्यवर्तियों के जरिए यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय के साथ अथवा स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा।

परन्तु यह कि जब तक व्यक्ति को आधार न दिया जाए तब तक उक्त योजना के अधीन लाभ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगा, अर्थात्:—

(क) (i) यदि नामांकन करवाया हो तो आधार नामांकन आईडी पर्ची; अथवा

(ii) नीचे दिए गए पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में निर्दिष्ट किए गए अनुसार आधार नामांकन संबंधी अनुरोध की प्रति; और

(ख) (i) फोटो सहित बैंक अथवा डाकघर पासबुक; या (ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या (iii) पासपोर्ट; या (iv) राशन कार्ड; या (v) सरकारी कर्मचारी पहचान-पत्र; या (vi) मतदाता पहचान-पत्र; या (vii) मनरेगा कार्ड; या (vii) किसान फोटो पासबुक; या (ix) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन लाइसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या (x) किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा शासकीय शीर्ष पत्र पर जारी पहचान प्रमाण-पत्र, जिस पर सदस्य का फोटो लगा हो; या (xi) विनियामक द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

परन्तु यह कि उपर्युक्त दस्तावेज की जांच उक्त प्रयोजन हेतु विनियामक द्वारा विशेष रूप से पदाभिहित किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

2. योजना के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक तथा निर्विघ्न लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विनियामक अपने कार्यालय तथा मध्यवर्तियों के जरिए सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं अर्थात्:—

(क) मीडिया तथा व्यक्तिगत सूचना के जरिए व्यापक प्रचार करके फायदाग्राहियों को योजना के अधीन आधार की आवश्यकता की जानकारी दी जाए और यदि वे आधार के लिए पहले से नामांकित न हों तो उन्हें अपने क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केंद्र में 15 जून, 2017 तक नामांकन करवाने की सलाह दी जाए। स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) उन्हें उपलब्ध कराई जाए।

(ख) यदि योजना के फायदाग्राही अपने निकटवर्ती क्षेत्रों, जैसे ब्लॉक अथवा तालुक या तहसील में नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण आधार के लिए नामांकन न करवा सकें तो विनियामक को अपने कार्यालयों और मध्यवर्तियों के जरिए सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन की सुविधा उपलब्ध करना अपेक्षित है और फायदाग्राहियों को इस प्रयोजन हेतु अपना नाम, पता, मोबाइल संख्या तथा पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट, अन्य ब्यौरा वेब पोर्टल के जरिए या विनियामक के संबंधित पदधारी अथवा मध्यवर्ती को उपलब्ध कराना होगा।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू - कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 11/14/2016-पीआर]

सुचीन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2017

S.O. 1512(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Financial Services (hereinafter referred to as the Department), Ministry of Finance in the Government of India is administering the Scheme of Atal Pension Yojana (APY) (hereinafter referred to as the Scheme) as notified under Gazette Notification dated the 16th October, 2015 and as amended *vide* notifications dated the 19th January, 2016 and 22nd March, 2016 for its subscribers (hereinafter referred to as the beneficiaries). The Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) (hereinafter referred to as the Regulator) regulates and lays down the procedure for identification of the beneficiaries under the Scheme. The Scheme is implemented through the Regulators' Offices and branches of the Banks and Post offices (hereinafter referred to as the Intermediaries);

And whereas, the Central Government guarantees the minimum monthly pension and makes its co-contribution (hereinafter referred to as the benefits) for the eligible beneficiaries for which the expenditure is incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing or receiving benefits under the Scheme but does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, is hereby required to make application for Aadhaar enrollment by 15th June, 2017 provided she or he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Regulator through its offices and the Intermediaries, which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Regulator through its offices and the Intermediaries is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following identification documents, namely:–

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2 below; and

(b) (i) Bank or Post office Passbook with Photo; or (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iii) Passport; or (iv) Ration Card; or (v) Employee Government ID Card; or (vi) Voter Identity Card; or (vii) MGNREGS card; or (viii) Kisan Photo passbook; or (ix) Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (x) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (xi) Any other document as specified by the Regulator;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Regulator for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Regulator through its Offices and the Intermediaries shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(a) Wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 15th June, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries of the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Regulator through its offices and the Intermediaries are required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned official of the Regulator or the Intermediary or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 11/14/2016-PR]

SUCHINDRA MISRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.13 11:33:07 +05'30'